कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी.- 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 140/2026

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 11.04.2026

डॉ0 अनिल कुमार, पुलिस वरिष्ठ अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में आज दिनांक- 11.04.2026 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्न कार्यवाहियां की गयी।

थाना देवगांव व कप्तानगंज

आजमगढ़ पुलिस का बड़ा एक्शन – दो अलग-अलग मुठभेड़ों में लूट/छिनैती गैंग का शातिर अपराधी व हत्या कांड का वांछित अभियुक्त घायल/गिरफ्तार

पुलिस टीम पर जानलेवा फायरिंग, आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई में दोनों अभियुक्तों के पैर में लगी गोली

अवैध तमंचा, जिन्दा/खोखा कारतूस, लूट का माल, नकदी व वाहन सहित अन्य सामान बरामद

आजमगढ़। *वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में जनपदीय पुलिस को दो अलग-अलग थाना क्षेत्रों में हुई मुठभेड़ों में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। थाना देवगांव व थाना कप्तानगंज पुलिस द्वारा दो शातिर वांछित अभियुक्तों को घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया।*

थाना देवगांव, आजमगढ़-

पूर्व की घटना का संक्षिप्त विवरण-

➡ दिनांक 04.02.2026 को वादी रामसुरत राम पुत्र स्व0 सहदेव निवासी ग्राम बेरमा विसम्भरपुर थाना देवगांव जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर तहरीर दी गयी कि एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा उन्हें अपनी मोटरसाइकिल पर घर छोड़ने के बहाने बैठाया गया तथा रास्ते में हेलमेट लाने का बहाना बनाकर उनका झोला, जिसमें ₹15,000 नकद व बच्चों के आधार कार्ड रखे थे, लेकर फरार हो गया। उक्त तहरीर के आधार पर थाना देवगांव पर मु0अ0सं0 131/2025 धारा 303(2) BNS बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

➡ दिनांक 10.04.2026 को वादी दुर्देशी पुत्र हरिकरन निवासी ग्राम बगौना थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया कि दिनांक 06.04.2026 को वह लालगंज बाजार गये थे, जहां एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा उन्हें स्प्लेण्डर मोटरसाइकिल पर बैठाकर ग्राम चकिया भगवानपुर नहर के पास ले जाकर ₹10,000 नकद छीन लिया तथा उन्हें मौके पर छोड़कर फरार हो गया। उक्त तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 133/2026 धारा 304(2) BNS बनाम अज्ञात पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का विवरण (मुठभेड़)-

दिनांक 11.04.2026 को मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम द्वारा आंगन ढाबा के पास एक संदिग्ध मोटरसाइकिल सवार को रोकने का प्रयास किया गया, जो पुलिस को देखकर भागने लगा। घेराबंदी के दौरान बेईली नहर पुलिया के पास उसकी मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर गिर गयी। पुलिस द्वारा आत्मसमर्पण हेतु ललकारे जाने पर अभियुक्त ने जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी, जिसके जवाब में पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ नियंत्रित फायरिंग की गयी, जिसमें अभियुक्त के पैर में गोली लग गयी। तत्पश्चात अभियुक्त को घायल अवस्था में गिरफ्तार कर उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पूछताछ का विवरण-

गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि वह लोगों को झांसा देकर अपनी मोटरसाइकिल पर बैठाता था तथा सुनसान स्थान पर ले जाकर तमंचे के बल पर उनसे नकदी व सामान छीनकर फरार हो जाता था।अभियुक्त द्वारा दिनांक 06.04.2026 को लालगंज क्षेत्र में एक व्यक्ति से ₹10,000 तथा दिनांक 07.04.2026 को मेहनाजपुर क्षेत्र में एक महिला से झोला छीनने की घटना करना स्वीकार किया गया, जिसमें मोबाइल, कागजात व नकदी थी। बरामद रुपये में से कुछ धनराशि उक्त घटनाओं से संबंधित होना बताया गया है, शेष धनराशि खर्च करना बताया।

बरामदगी का विवरण-

➡ 01 अदद देशी तमंचा .315 बोर

➡ 01 अदद खोखा कारतूस .315 बोर

➡ ₹15,000 नकद

➡ 01 अदद मोटरसाइकिल स्प्लेण्डर

➡ 01 अदद की-पैड मोबाइल (जियो)

➡ 03 अदद आधार कार्ड की फोटो कॉपी

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0स0 134/2026 धारा 109 बी.एन.एस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना देवगांव, आजमगढ़ ।

अभियुक्त का विवरण-

01. राहुल यादव पुत्र स्व0 समर बहादुर यादव निवासी मौधा थाना खानपुर जनपद गाजीपुर, उम्र करीब 28 वर्ष

आपराधिक इतिहास-

01. मु0अ0सं0 131/2026 धारा 303(2)/317(2) BNS थाना देवगांव, जनपद आजमगढ़
02. मु0अ0सं0 133/2026 धारा 304(2)/317(2) BNS थाना देवगांव, जनपद आजमगढ़
03. मु0अ0सं0 26/2026 धारा 304(2) BNS थाना मेहनाजपुर, जनपद आजमगढ़
04. मु0अ0स0 134/2026 धारा 109 बी.एन.एस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना देवगांव, आजमगढ़ ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक विमल प्रकाश राय, मय हमराह थाना देवगांव आजमगढ़।
2. व0उ0नि0 योगेन्द्र सिंह यादव, मय हमराह थाना देवगांव जनपद आजमगढ़
3. उ0नि0 अभिषेक मिश्रा , मय हमराह थाना देवगांव आजमगढ़।
4. उ0नि0 सुभाष तिवारी, मय हमराह चौकी प्रभारी लालगंज थाना देवगांव आजमगढ़ ।
5. उ0नि0 राजेश कुमार सिंह, मय हमराह चौकी प्रभारी पल्हना थाना देवगांव जनपद आजमगढ़।

थाना कप्तानगंज, आजमगढ़

पूर्व की घटना/इतिहास का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 10.04.2026 को आवेदिका प्रभावती पत्नी स्व0 रामनिहोर निवासी ग्राम भरौली थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया कि दिनांक 09.04.2026 को समय करीब 07:00 बजे सायं आरोपियों द्वारा उनके पुत्र रोशन कुमार (उम्र करीब 28 वर्ष) को पेड़ से बांधकर लाठी-डंडों से बेरहमी से मारपीट की गयी, जिससे उसे गंभीर चोटें आयीं तथा सिर व मुंह से रक्तस्राव होने लगा। घायल अवस्था में उसे उपचार हेतु सीएचसी रानीपुर से सदर अस्पताल आजमगढ़ ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गयी। उक्त तहरीर के आधार पर थाना कप्तानगंज पर मु0अ0सं0 101/2026 धारा 3(5), 105, 127(2) BNS व 3(2)V SC/ST एक्ट बनाम 1. राजू निषाद पुत्र खोभारी, 2. मुंद्रिका देवी पत्नी राजू निषाद, 3. राज निषाद पुत्र राजू निषाद (बाल अपचारी) व 4. खोभारी निषाद पुत्र कुबेर निषाद, निवासीगण ग्राम पियरिया थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। विवेचना क्षेत्राधिकारी बूढ़नपुर कौस्तुभ त्रिपाठी द्वारा की जा रही है। विवेचना के क्रम में अभियुक्त मुंद्रिका देवी व खोभारी निषाद को दिनांक 10.04.2026 को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया तथा बाल अपचारी को बाल सुधार गृह जनपद मऊ में निरुद्ध किया गया है। मुख्य अभियुक्त राजू निषाद घटना के पश्चात से फरार चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा था।

घटना का विवरण (मुठभेड़)-

दिनांक 11.04.2026 को थानाध्यक्ष जयप्रकाश मय पुलिस टीम के साथ क्षेत्र में संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों की चेकिंग व वांछित अभियुक्तों की तलाश में देउरपुर-महराजगंज तिराहे पर मौजूद थे। इसी दौरान मुखबिर खास द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि थाना कप्तानगंज के मु0अ0सं0 101/2026 से संबंधित वांछित अभियुक्त राजू निषाद जफरामऊ बाग स्थित एक खण्डहरनुमा मकान में छिपा हुआ है। सूचना पर विश्वास कर पुलिस टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की गयी। पुलिस टीम द्वारा टार्च की रोशनी में संदिग्ध व्यक्ति को चिन्हित कर आत्मसमर्पण हेतु कहा गया, किन्तु अभियुक्त द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी गयी। आत्मरक्षार्थ की गयी जवाबी कार्रवाई में अभियुक्त घायल हो गया, जिसे मौके पर गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त राजू निषाद पुत्र खोभारी निवासी ग्राम पियरिया थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ को आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए उपचार हेतु सीएचसी रानीपुर (कोयलसा) भेजा गया।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त राजू निषाद द्वारा घटना में शामिल होना स्वीकार किया गया तथा बताया कि विवाद के दौरान मारपीट की गयी थी, जिसमें घायल व्यक्ति की मृत्यु हो गयी।

बरामदगी का विवरण-

अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद देशी तमंचा .315 बोर, 01 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर, 01 अदद खोखा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0 103/2026 धारा- 109(1) BNS व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़
02. मु0अ0सं0 101/2026 धारा- 3(5), 105, 127(2) BNS व 3(2)V SC/ST Act थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़

अभियुक्त का विवरण-

01. राजू निषाद पुत्र खोभारी निषाद निवासी ग्राम पियरिया थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 45 वर्ष

पुलिस टीम-

थानाध्यक्ष जयप्रकाश, उ0नि0 रमेश चन्द्र सिंह, उ0नि0 प्रिंस मिश्रा, उ0नि0 राजमणि भारती सहित पुलिस टीम द्वारा तत्परता एवं साहस का परिचय देते हुए गिरफ्तारी की गयी।